[illegible]यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

[illegible]–पत्र संख्या :–72 / 2021

[illegible]S NO:- 2021/147

दायर दिनांक: 13.07.2021

[illegible]सीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. सूरजमल आ0 रोडूलाल ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 18 नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थी–

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी।

निर्णय दिनांक 23.03.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नैनवां द्वितीय पटवार मण्डल नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 746 के अनुसार सखरा संख्या 1019 रकबा 0.5420 हेक्टयर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 1019 में जाने का एक मात्र रास्ता नैनवां से बरडा के बालाजी जाने वाली मुख्य सडक से होता हुआ सखरा संख्या 1020 सिवायचक भूमि के पूर्वी ओर होकर खसरा संख्या 1019 तक पहूंचता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित कर रखा है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में जाने वाले उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाने हेतु प्रार्थी ने कहीं बार प्रार्थना पत्र अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवां को दी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नही हुई गत 15 दिन पहले प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से नियमानुसार राशि जमा करवाने का आग्रह करने के बावजूद उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाने से साफ इंकार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र का कारण है। यह कि प्रार्थी रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का प्रतिकर नियमानुसार राजकोष में कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नक्शा परिशिष्ट अ, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

तहसीलदार साहब की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के राजस्व ग्राम नैनवां द्वितीय के आराजी खसरा नम्बर 1019 रकबा 0.5420 हैक्टयर भूमि सुरजमल पुत्र रोडूलाल जाति ब्राह्मण रिकॉर्ड दर्ज है। यह कि वर्तमान में बरडा बालाजी वाली पक्की सडक खसरा सं. 1012 च 1020 में निकली हुई है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। यह कि उक्त सडक से खसरा नं. 1019 में जाने हेतु आराजी खसरा नं. 1020 रकबा 0.1618 सिवायचक भूमि में से 16 गट्ठा लम्बा तथा 3 गट्ठा चौडा यानि 48 गट्ठा अर्थात 0–0192 हैक्टयर भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा संलग्न नक्शा ट्रेश में रास्ता प्रदर्शित किया गया है, उसका अवलोकन किया गया। प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्राथी ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम नैनवां द्वितीय पटवार मण्डल नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या 746 के अनुसार सखरा संख्या 1019 रकबा 0.5420 हेक्टयर भूमि पर [illegible] नं. 1020 रकबा 0.1618 सिवायचक भूमि में से 16 गट्ठा लम्बा तथा 3 गट्ठा चौ[illegible] गट्ठा अर्थात 0–0192 हैक्टयर भूमि प्रस्तावित रास्ते के नक्शा ट्रेश, [illegible] है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड [illegible] कोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। [illegible] किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया [illegible] कर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner